न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर

बईजलास : सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 129/2022

जीसीएमएस : 2022/444

1 शहनाजकौर पुत्री श्री शिवराज सिह जाति जटसिख निवासी 16 पी टी डी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता अमनदीप कौर पत्नि श्री शिवराज सिहं जाति जटसिख निवासी 16 पी टी डी बी तहसील रायसिहनगर हाल निवासी चक 52 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज0)

2 अमनदीपकौर पत्नी श्री शिवराज सिह जाति जटसिख निवासी 16 पी टी डी बी तहसील रायसिहनगर हाल निवासी चक 52 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज0) —प्रार्थीगण

बनाम

1 शिवराज सिह पुत्र श्री जसपाल सिह जाति जटसिख निवासी 16 पीटीडीबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

2 परमजीतकौर पत्नी श्री जसपालसिहं जाति जटसिख निवासी 16 पीटीडीबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

3 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। —:अप्रार्थीगण

<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u> रजू दिनांकः— 16.08.2022

उपस्थितिः—

श्री अवतार सिहं अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री रणजीतसिहं सोनी अधिवक्ता अप्रार्थीगण
श्री रविन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थीगण

दिनांकः—30.05.2024

—:निर्णय :—

1. संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया शहनाजकौर वगैरा ने वाद–पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं.1 प्रार्थीगण के पिता/ पति है। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण के दादा/ससुर है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से चक 16 पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के खाता नं. 77/69 के मु.न. 28 प.न. 285/345 के कि.न. 13/5 के 0.013, 18/2 के 0.012 , 19/1 के 0. 228 कुल 0.253 है0 कमाण्ड भूमि व इसी चक की खतोनी सं. 81/71 के मु.न. 28 प. न. 285/345 के कि.न. 3/4 के 0.020, 8/2 के 0.046 , 10/2 के 0.228, 11/2 के 0.228, 12/0.253, 13/6 के 0.030, 20/24 के 0.207, कुल 1.012है0 कमाण्ड भूमि इस प्रकार दोनों खातों की कुल 1.265 है0 कमाण्ड भूमि व अप्रार्थी सं. 2 के नाम इसी चक के खाता नं. 82रु71 के मु.न. 28 प.न. 285/345 के कि.न. 1/2 के 0.227, 2/0.253, 3/3के 0.026, 9/0.253 कुल 0.759है0 कमाण्ड भूमि खातेदारी भूमि है। जिनके नाम की उक्त तमाम भूमि प्रार्थीगण के दादा/ससुर श्री जसपाल सिहं दत्तक पुत्र बसन सिहं द्वारा अपने नाम की चक 13 के डीबी तहसील घडसाना के मु.न. 26 प.न. 110/23 के 4.048 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड भू[illegible] 27 प.न. 110/24 की 3.542 है0 कमाण्ड भूमि कुल ताद[illegible] 7.590 है0 [illegible] में 3.522 है0 भूमि को बेचान कर खरीद करके दी क्यों कि च[illegible]बी. तहसी[illegible]साना की उक्त भूमि हिन्दू खानदान की सहदायिकी सम्पति होने के कारण [illegible] अप्रार्थी सं. 1 व उनके भाई प्रगट सिहं का प्रार्थीगण के दादा/ ससुर [illegible]सपालसिंह के साथ बहिस्सा बराबर बराबर हिस्सा बना तथा उक्त के अलावा प्रार्थीगण के दादा/ ससुर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:41:56 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

प्रा. पत्र संख्या 129/2022 अनवान शहनाज कौर आदि बनाम शिवराज सिंह आदि
धारा 212 आरटीएक्ट निर्णय दिनांक 30.05.2024

श्री जसपाल सिहं द्वारा अप्रार्थी सं. के भाई प्रगट सिहं को भी उसके विरासतन हिस्सा
की भूमि में से 1.644 है0 भूमि नाम करवायी अब प्रार्थीगण के दादा/ससुर के पास
चक 3 के डी बी में 2.424 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड भूमि शेष रही है। प्रार्थीगण के
दादा/ससुर श्री जसपाल सिहं द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के हिस्सा की चक 3 के डी बी
वाली जमीन बेचकर यहॉ विवादित भूमि यहॉ चक 6 पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर
मे खरीद करके दी है , लेकिन चूकि अप्रार्थी सं. 2प्रार्थीगण की दादी/सास है तथा
राज्य सरकार द्वारा छोटे खातों में भूमि परिवार में विभाजित करवाने की स्कीम के
अन्तर्गत विवादित भूमि में से 0.759 है0 भूमि अप्रार्थी सं.2 के नाम करवा दी गई
लेकिन इस पर मालिकाना हक अप्रार्थी सं. 1 के पास ही है , इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1
व 2 के नाम की उक्त विवादित भूमि तादादी 2.024है0 विरासतन सम्पति प्राप्त हुई है ,
इसलिए अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम की उक्त 2.024 है0 भूमि हिन्दू खानदान की
कौपासरी सम्पति की परिभाषा में आती है। उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के
नाम की हिन्दू खानदान की कौपासरी सम्पति होने के कारण प्रार्थीगण सं. 1व 2 काक
अप्रार्थीगण सं. 1 के साथ बहिस्सा बराबर का हक हकूक होने के कारण उक्त भूमि
में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/2 हिस्सा तादादी 1.012 है0 व प्रार्थी सं. 2 का अप्रार्थी सं.
1 के एक हिस्सा तादादी 1.012 है0 में आधा हिस्सा तादादी 0.506 है0 भूमि यादिन
दोनों प्रार्थीगण के 1.518 है0 भूमि विरास्तन बनती हैं, जिस भूमि के प्रार्थीगण अपने
आप को खातेदार घोषित करवाने के विधिक अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 1 शराबी कबाबी
व्यक्ति है जो अक्सर घर में लड़ाई झगडा रख्ते है तथा अप्रार्थी सं. 2 अप्रार्थी सं. 1
की मात है जो भी उसे कुछ नहीं समझाते है तथा हम प्रार्थीगण का पैतृक हिस्सा
हड़प करने के लिए अप्रार्थी सं. 1 व 2 अपने नाम की उक्त भूमि हस्तान्तरण करना
चाहते है ताकि प्रार्थीगण का पैदायशी व विरास्तन हक समाप्त हो जाए तथा
अप्रार्थीगण सं. 2 ने अपने इस नापाक इरादा में सफल होने के लिए अप्रार्थी सं. 1 को
नशा खिला कर प्रार्थीया अमनदीपकौर के साथ लड़ाई झगड़ा करवाया तथा देहज की
अनुचित मांग को लेकर हम प्रार्थीगण को कुछ समय पूर्व अपने घर से निकाल दिया
है जिस कारण प्रार्थीगण अपने नामा/ पिता के घर चक 52 एन पी तहसील
रायसिंहनगर में रह रहे है। प्रार्थीगण तथा मौतबीरान व्यक्तियों एवं रिश्तेदारों द्वारा
काफी बार पंचायत में अप्रार्थी सं. को समझाया गया कि वे अपने नाम की उक्त भूमि
में से प्रार्थीगण के हक व हिस्सा की भूमि को प्रार्थीगण के नाम करवावें, लेकिन
अप्रार्थीगण ने कोई सनुवाई नहीं की तथा अपने नशा की लत को आपूर्ति करने के
लिए इस भूमि की बिकवाली निकाल दी तथा प्रार्थीगण को एलानियां धमकी दी कि
कवह अपने नाम की व अपनी माता के नाम की उक्त तमाम भूमि का बेचान करेगा।
लेकिन प्रार्थीगण को कोई हक व हिस्सा नहीं देगा। प्रार्थीगण ने पुनः अपने साथ
मौतबीर व्यक्तियों को लेकर अप्रार्थी सं. 1व 2 को दिनांक 07.08.2022 को पंचायत
करके समझाया कि वे प्रार्थीगण को उनके हक व हिस्सा की जमीन देकर नाम करवा
देवे तथा घर में ऐसा विवाद ना करे जिससे प्रार्थीगण का पैदायशी हक हकूक समाप्त
होता हो तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि के संयुक्त ... हो, तो पंचायत
के समक्ष धमकी दी कि वे विवादित भूमि को अति... अन्य को बेचान करेगें
तथा कब्जा अन्यत्र हस्तान्तरण करेगा ... आनाकानी की तो
व उन्हें जान से भी खत्म करवा... मुखास्मत है। तथा
बिनाय दावा/ प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ... 2 के नाम बतौर
विरास्तन होने व प्रार्थीगण का पैदायगी व विरास्तनउ ... होने के रोज से प्राप्त है।
प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के साथ उक्त विवादित भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज है

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:41:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

प्रा. पत्र संख्या 129/2022 अनवान शहनाज कौर आदि बनाम शिवराज सिंह आदि
धारा 212 आरटीएक्ट निर्णय दिनांक 30.05.2024

तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर प्रार्थीगण की संयुक्त रूप से फसल सावणी का बिजान्द किया हुआ है। सुविधा का संतुलन भी हक प्रार्थीगण के पक्ष में है। अगर अप्रार्थीगण अपने इस नापक इरादा में कामयाब होकर उक्त विवादित भूमि को किसी अन्य को रहन बैय अथवा बेचान करवा देते है तथा भूमि का कब्जा अन्यत्र सुपुर्द कर देते है तो इससे प्रार्थीगण का पैदायशी हक समाप्त हो जावेगा जिससे प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा तथा अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्याकन मुद्राओं में नहीं किया जा सकेगा।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वे चक 16 पीटीडीबी तहसील रायसिंहनगर के मु.न 28 प.न. 285/345 के 0.253 है0 कमाण्ड भूमि व इसी चक के मु.न. 28 प.न. 285/345 के 1.012 है0 कमाण्ड भूमि इस प्रकार दोनों खातों की .265 है0 कमाण्ड भूमि व इसी चक के मु.न. 28 प.न. 285/345 के 0.759 है0 कमाण्ड भूमि कुल 2.024 है0 कमाण्ड भूमि के किसी भू –भाग को रहन बैय व हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रहे तथा ऐसी कोई कार्यवाही न करे जिससे कि प्रार्थीगण अपने विरासतन हक हकूक से वंचित होते हो।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबाना तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री रणजीतसिंह सोनी व श्री रविन्द्र बिश्नोई अधिवक्तागण हाजिर होकर जबाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया के अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में विरोध प्रकट करते हुये अतिरिक्त आपत्तिया में अंकित किया कि प्रार्थीगण ने वाद–पत्र धारा 88–188–53–92ए–209 राज.काश्त.अधि. में पेश किया कि जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण का विवादित रकबा में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार न होने के कारण से यह दावा खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण के नाम से भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है ओर ना ही उनका हक व अधिकार है इसलिए धारा 53 राज.काश्त. अधि. में बंटवारानामा करवाने के अधिकारी नहीं है । धारा 88 आर टी एक्ट में प्रार्थीगण का कोई हक निहित नहीं है ओर ना ही ऐसा कोई दस्तावेज वाद पत्र में प्रस्तुत है जिसमें यह साबित हो कि उक्त भूमि में प्रार्थीगण का हक हो ओर धारा 188 राज. काश्त. अधि. स्थाई निषेधाज्ञा के लिए है जब प्रार्थीगण का इस भूमि में हक व अधिकार नहीं है तो फिर अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय द्वासरा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है इस प्रकार सभी धाराये जो प्रार्थीगण द्वारा वाद–पत्र में लगाकर पेश किया है वे अप्रार्थीगण पर लागू नहीं है इसलिए मौजूदा सूरत में ही वादीगण का दावा व आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी सं. 2 अपने पीहर के प्रभाव में है ओर पीहर में निवास कर रही है। प्रार्थी सं. 1 को पक्षकार बना कर ओर स्वंय पक्षकार बनकर भूमि विधि विरूद्ध तरीके से हड़पना चाहती है ओर अप्रार्थी सं. 1 के घर बतौर पत्नी बसना नहीं चाहती है इसी नियत से अप्रार्थी सं. 1 व उसका पिता प्रार्थी सं. 2 के घर ग्राम 52 एन पी अमनदीपकौर को बसाने के लिए व लाने के लिए गये थे तो उनके परिवार वालों ने इसको भेजने से स्पष्ट इन्कार कर दिया ओर जमीन की मांगी ओर कहा कि हमे तो जमीन चाहिए इस पर मुझ अप्रार्थी सं. 1 ने कहा कि [illegible] भरण पोषण अच्छा करूंगा। जमीन नहीं दूंगा। इस पर मुझ अप्रार्थी [illegible] मेरे पिता के साथ अमनदीपकौर के पीहर वालो ने गाली गलोच किया और मारपीट [illegible] पर अन्य ग्राम वासियों ने हमे छुडाया। इस प्रकार प्रार्थी सं. 2 [illegible] घर न बसकर अपने पीहर में रहना चाहती है ओर विधि विरूद्ध [illegible] प्रस्तुत करके भूमि पर कब्जा नाजायज करना चाहती है ओर भूमि को हडपना चाहती है इसी उदेश्य से यह दावा व प्रार्थना–सपत्र प्रस्तुत किया है जो काबिले निरस्ती है। प्रार्थी सं. 2 को यह अच्छी

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:41:56 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

प्रा. पत्र संख्या 129/2022 अनवान शहनाज कौर आदि बनाम शिवराज सिंह आदि
धारा 212 आरटीएक्ट निर्णय दिनांक 30.05.2024

तरह ज्ञात है कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा रजिस्ट्री बैयनामा से खरीद की है जो अपनी कमाई से खरीद की है ओर अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए भूमि विक्रय की है जो बिना किसी नशे पते के उक्त कार्यवाही की है। आवेदन को बल देने के लिए शराबी कवाबी शब्द अंकित किये है ओर मुझ अप्रार्थी स. 1 पर दवाब बनाने के लिए वादी सं. 2 द्वारा तरह तरह के झुठे आवेदन पेश कर रहीं है ओर भूमि लेने लिए दवाब बना रहीं है प्रार्थीगण द्वारा झुठे कथनों पर आवेदन पत्र पेश किया गया है जो काबिल निरस्ती है। प्रार्थी अमनदीपकोर के पिता ने अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 से दिनांक 20.07.2019 को 3,00,000/–रूपये तीन लाख रूपये 2 रूपये प्रति सैकण्ड प्रतिमाह के हिसाब से रोबरू गवाहान नगद प्राप्त किये थे ओर कहा था कि 6 माह बाद वापिस कर दुंगा। उक्त रूपये मांगन पर वादी का पिता नाराज हो गया ओर प्रार्थी अमनदीपकौर को भेजने से इंकार हो गया ओर यह झूठा दावा पेश किया है जो काबिले निरस्ती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे ओर हर्ज खर्चा प्रार्थीगण से अप्रार्थी स. 1 व 2 को दिलवाया जावे। अन्य कोई अनुतोष हो तो बहक अप्रार्थीगण खिलाफ प्रार्थीगण सादिर फरमाया जावे।

बहस पक्षकारान के अधिवक्तागण सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व स्थाई निषेज्ञाधा जारी करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। तथा विवादग्रस्त भूमि की खुद की आय से खरीद शुद्वा है। जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी सं. 1 विरूद्व मनगढ़त आरोप लगाये जा रहे है। जिसके कारण प्रार्थीगण उसकी भूमि हडपना चाहती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाने हेतु निवेदन किया है।

बहस पक्षकारान अधिवक्तागण पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्यों का अवलोकन किया। विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज है। विवादित भूमि पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र में अपना कब्जा काश्त बता रहे है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के दादा/ ससुर श्री जसपाल सिहं द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के हिस्सा की चक 13 केडीबी वाली जमीन बेच कर यहां विवादित भूमि चक 16 पीटीडी में खरीद कर अप्रार्थी सं. 2 को दी है। उक्त विवादित भूमि हिन्दू खानदान की कौपासरी सम्पति की परिभाषा में आती है। अप्रार्थीगण ने अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में स्वीकार किया कि प्रार्थी सं. 1 पुत्र व प्रार्थीया स. 2 उसकी पत्नी है । जो अपने पीहर के प्रभाव में है ओर पीहर में निवास कर रहीं है। मै बसाना चाहता हूँ। ओर उसके परिवार ने बसाने से इन्कार कर दिया । प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं. 1 पर शराबी कवाबी बताया है। प्रार्थीया का पिता अप्रार्थी सं. 1 से रूपये उधारे ले गया तो अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा मांगन पर नाराज हो गये। प्रार्थीया को भेजने से इन्कार गये। विवादित आराजी पर प्रार्थीगण अपना कब्जा बता रहे है। उक्त आराजी पैतृक सम्पति है या नहीं इन बिन्दूओ का निस्तारण मूल वाद में दोनो पक्षों के साक्ष्य लिये जाकर मेरिट के आधार पर तय किया जाना है। फिरहाल तो स्थगन प्रार्थना पत्र का ही निरतारण किया [illegible] आराजी वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं. 1व 2 के नाम खातेदारी दर्ज है। जि[illegible]दा उठाकर उक्त आराजी अप्रार्थीगण आगे बेचान कर देते है [illegible] को न होकर प्रार्थीगण को होगा। जिसकी अपूर्णिय क्षति [illegible] को हो[illegible] जिसका मूल्यांकन मुद्राओं में नही किया जा सकेगा। अनावश्यक [illegible] में प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में न होकर प्रार्थीगण के प[illegible] प्रतीत होता है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। ऐसे में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:41:56 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

प्रा. पत्र संख्या 129/2022 अनवान शहनाज कौर आदि बनाम शिवराज सिंह आदि
धारा 212 आरटीएक्ट निर्णय दिनांक 30.05.2024

—:आदेश:—

अतः उक्त विववेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि पूर्व में दिनांक 16.08.2022 को वाके चक 16 पी.टी.डी.बी. के खाता न. 77 में दर्ज मु.न. 28 की कुल 0.253 है0 कमाण्ड, खाता नं. 82 में दर्ज मु.न. 28 की 0.759 है0 कमाण्ड ,खाता नं. 81 में दर्ज मु.न. 28 की 1.012है0 कमाण्ड भूमि जारी स्थगन आदेश को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। तक तक उक्त आराजी रहन बैय/अन्य तरीके से हस्तान्तरण करने अप्रार्थीगण बाज व ममनू रहे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर होकर मूल वाद के साथ सलंग्न की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 30.05.2024 को सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:41:56 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner